**फा. सं. 6(1)/एफसीडी/2026-31**

**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**व्यय विभाग**

**वित्त आयोग प्रभाग**

कक्ष सं. 10012, डी-विंग,
कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 21.05.2026

सेवा में,
मुख्य सचिव,
(सभी राज्य सरकारें)

**विषय : 16वें वित्त आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए अनुशंसित "ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों" संबंधी प्रचालनात्मक दिशानिर्देश।**

महोदय,

16वें वित्त आयोग (एफसी-16) की अनुशंसा अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए की गई अनुशंसाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी किए जाने की अनुशंसा भी शामिल है।

2. भारत सरकार ने, अनुशंसा अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई संबंधी "व्याख्यात्मक ज्ञापन" के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, आयोग की रिपोर्ट (खंड-I एवं खंड-II) के अध्याय-10 "स्थानीय निकाय अनुदान" में निहित अनुशंसाओं को स्वीकार किया है।

3. इस संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 16वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदानों की रिहाई एवं उपयोग से संबंधित दिशानिर्देशों की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक आगे की कार्रवाई हेतु एतद्द्वारा अग्रेषित की जाती है।

4. हिंदी तथा अंग्रेजी पाठों के बीच किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
(महेश कुमार)
संयुक्त निदेशक, भारत सरकार

प्रतिलिपि :

(i) सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, जीवन प्रकाश भवन, 25, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली।

(ii) सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।

## 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की अधिनिर्णय अवधि के लिए "ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों" के लिए संचालनात्मक दिशानिर्देश

### 1. प्रस्तावना

1.1. 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की अधिनिर्णय अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को अनुदान के रूप में **4,35,236 करोड़ रुपये** देने की अनुशंसा की है। 16वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट के खंड-II में ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार आवंटन का प्रावधान किया है।

1.2. केन्द्र सरकार ने अधिनिर्णय अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में 'व्याख्यात्मक ज्ञापन' के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ 'स्थानीय निकाय अनुदान' शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट (खंड-I और खंड-II) के अध्याय 10 में उल्लिखित 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है।

1.3. ये दिशा-निर्देश ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों के लिए 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने और उन्हें समय पर जारी करने और उनके प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेंगे।

### 2. अनुशंसित अनुदान - परिमाण और घटक

2.1 16वें वित्त आयोग ने **विधिवत गठित** ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 4,35,236 करोड़ रुपये के अनुदान की अनुशंसा की है, जिसे 80:20 के अनुपात में मूल और निष्पादन घटकों में विभाजित किया गया है। निष्पादन घटक को आगे दो समान हिस्सों, अर्थात् आरएलबी निष्पादन घटक और राज्य निष्पादन घटक में विभाजित किया गया है।

2.2 16वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि आरएलबी निष्पादन अनुदान अधिनिर्णय अवधि के तीसरे वर्ष से जारी किया जाएगा और राज्य निष्पादन घटक दूसरे वर्ष में शुरू होगा। नीचे दी गई तालिका आयोग की अधिनिर्णय अवधि के पांच वर्षों में आरएलबी अनुदानों के परिमाण को दर्शाती है।

**16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान**

**(करोड़ रु. में)**

| **अनुदान घटक** | **2026-27** | **2027-28** | **2028-29** | **2029-30** | **2030-31** | **कुल (2026-31)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल | 55,909 | 62,059 | 68,885 | 76,462 | 84,873 | **3,48,188** |
| आरएलबी निष्पादन घटक | 0 | 0 | 13,023 | 14,455 | 16,046 | **43,524** |
| राज्य निष्पादन घटक | 0 | 9,241 | 10,258 | 11,386 | 12,639 | **43,524** |
| **कुल अनुदान** | 55,909 | 71,300 | 92,166 | 1,02,303 | 1,13,558 | **4,35,236** |

**3. अनुदानों का वितरण:**

16वें वित्त आयोग ने आरएलबी के सभी तीन श्रेणियों, अर्थात ग्राम पंचायत (जीपी), ब्लॉक पंचायत (बीपी) और जिला पंचायत (डीपी) को आरएलबी अनुदान आवंटित किए हैं। राज्यों को आरएलबी अनुदानों का वितरण और राज्य के भीतर आरएलबी की सभी तीन श्रेणियों का वितरण निम्नानुसार है:

3.1 **आरएलबी अनुदानों में राज्यों की आपस में हिस्सेदारी**

राज्य स्तर पर आपस में आवंटन करने में, 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 2026 में अनुमानित ग्रामीण आबादी को 90 प्रतिशत और राज्य के कुल क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया है। आरएलबी अनुदानों में राज्यों की आपस में हिस्सेदारी *अनुलग्नक-I* में दी गयी है।

3.2 **राज्य के भीतर साझा अंतर-श्रेणी आरएलबी अनुदानों की हिस्सेदारी**

प्रत्येक राज्य के भीतर सभी श्रेणियों के विधिवत गठित आरएलबी को अनुदानों का वितरण राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की नवीनतम स्वीकृत अनुशंसाओं पर आधारित है। एसएफसी की अनुशंसाओं के अभाव में, प्रतिशत में आरएलबी अनुदानों का श्रेणी-वार वितरण इस प्रकार है:

| **श्रेणियों की संख्या** | **ग्राम पंचायत** | **ब्लॉक पंचायत** | **जिला पंचायत** |
|---|---|---|---|
| तीन | 80 प्रतिशत | 10 प्रतिशत | 10 प्रतिशत |
| दो | 90 प्रतिशत | - | 10 प्रतिशत |
| एक | 100 प्रतिशत | - | - |

## 3.3 आरएलबी का एक विशेष श्रेणी के भीतर आवंटन

आरएलबी का एक विशेष श्रेणी के भीतर वितरण राज्य वित्त आयोग की नवीनतम स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार अथवा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अभाव में, जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर 90:10 के अनुपात में होगा। अधिनिर्णय अवधि के सभी पांच वर्षों के दौरान मूल अनुदान की अनुशंसा की गयी है, आरएलबी निष्पादन अनुदान तीसरे से पांचवें वर्ष तक और राज्य निष्पादन अनुदान अधिनिर्णय अवधि के दूसरे से पांचवें वर्ष तक उपार्जित किया जाएगा।

## 4. छूट प्राप्त क्षेत्रों की व्यवस्था

आवश्यकताओं को समान रूप से पूरा करने के लिए, 16वें वित्त आयोग ने संविधान के भाग IX की परिधि से बाहर के क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के समान माना है। संबंधित राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप इन क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकायों के संबंध में आवंटन करेगी। संबंधित राज्य सरकार अधिनिर्णय अवधि अर्थात् वर्ष 2026-27 की शुरुआत में इन क्षेत्रों को वर्ष/ पांच वर्ष की अधिनिर्णय अवधि में किसी राज्य को देय कुल आरएलबी अनुदानों में से वर्षवार अनुदान आवंटित करेगी और इसकी सूचना व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय को देगी। तदनुसार, इन दिशानिर्देशों के तहत अनुदान जारी करने के लिए निर्धारित सभी शर्तें (विधिवत निर्वाचित निकाय होने की शर्तों को छोड़कर) संविधान के भाग IX की परिधि से बाहर के क्षेत्रों पर लागू होंगी।

## 5. आरएलबी के लिए अनुशंसित अनुदान

16वें वित्त आयोग ने 80:20 के अनुपात में मूल और निष्पादन अनुदान घटकों की अनुशंसा की है। आरएलबी अनुदानों का राज्य-वार हिस्सा और राशि *अनुलग्नक-II (क) और (ख)* में दी गई है।

**5.1 मूल अनुदान-** मूल अनुदान को आगे आबद्ध और अनाबद्ध अनुदानों में विभाजित किया गया है।

(क) **आबद्ध अनुदान:** 16वें वित्त आयोग ने 'स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' और/अथवा 'जल प्रबंधन' के लिए मूल अनुदान का 50% आवंटित किया है। आरएलबी द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस घटक के भीतर लचीलापन उपलब्ध है, जिसमें उपरोक्त आबद्ध मदों के लिए O&M व्यय भी शामिल है।

**(ख) अनाबद्ध अनुदान:** आरएलबी स्तर पर स्थानीय रूप से पहचान की गयी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा मूल अनुदान घटक के शेष 50% की अनुशंसा की गयी है। मूल अनुदान का उपयोग आरएलबी द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के तहत किया जा सकता है।

## 5.2 निष्पादन अनुदान

स्थानीय निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें, 16वें वित्त आयोग ने प्रवेश स्तर और अर्हक शर्तों को पूरा करने के अधीन निष्पादन अनुदान की अनुशंसा की है। संपूर्ण निष्पादन अनुदान को अनाबद्ध माना जाएगा। निष्पादन अनुदान को निम्नलिखित दो घटकों में विभाजित किया गया है:

**5.2.1 आरएलबी निष्पादन घटक**: 16वें वित्त आयोग ने इस बात को रेखांकित किया है कि ग्राम पंचायतों के पास कराधान और उपयोगकर्ता शुल्क लगाने की आवश्यक शक्तियां हैं। इस प्रकार, स्थानीय निकाय राजस्व के अपने स्रोत **(ओएसआर)** के निम्नतम स्तर को प्राप्त करने के आधार पर, आरएलबी निष्पादन घटक अनुदान के पात्र होंगे।

**5.2.2 राज्य निष्पादन घटक**: स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के राज्यों के प्राथमिक उत्तरदायित्व पर जोर देते हुए, 16वें वित्त आयोग ने राज्य द्वारा अपने संसाधनों से आरएलबी को निधि अंतरित करने के आधार पर अनुदान की अनुशंसा की है।

# 6. अनुदान जारी करने की शर्तें

## 6.1 प्रारम्भिक स्तर की शर्तें

आरएलबी अनुदान जारी करने से पूर्व प्रारम्भिक स्तर की निम्नलिखित तीन पात्रता शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य हैं:

i. संविधान के भाग IX के अनुसार एक विधिवत गठित स्थानीय निकाय होना चाहिए। हालांकि, यह शर्त उन राज्यों/क्षेत्रों में आरएलबी/स्थानीय जनजातीय निकायों पर लागू नहीं होगी जहां संविधान का भाग IX लागू नहीं होता है।

ii. वित्तीय वर्ष 'टी' (जिस वर्ष के लिए अनुदान की अनुशंसा की गयी है) में, राज्य के सभी आरएलबी के वित्तीय वर्ष टी-1 के अनंतिम खाते और वित्तीय वर्ष टी-2 के लेखापरीक्षित खाते

सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए। यह शर्त अधिनिर्णय अवधि के पहले वर्ष से ही लागू होगी। ऐसे मामलों में जहां आरएलबी का केवल एक भाग ही इस शर्त को पूरा करता है, राज्य को अनुदान इस शर्त को पूरा करने वाले स्थानीय निकायों के अनुपात में ही अनुदान वितरित किया जाएगा।

iii. राज्य को पिछले राज्य वित्त आयोग के गठन से पांच वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग के गठन के संवैधानिक प्रावधान का पालन करना चाहिए। राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल में एटीआर अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

## 6.2 आरएलबी निष्पादन घटक जारी करने के लिए पात्रता शर्तें

प्रवेश स्तर की शर्तों को पूरा करने के बाद, 16वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर आरएलबी निष्पादन अनुदान प्राप्त करने का पात्र है:

### 6.2.1 ग्राम पंचायतों के लिए

ग्राम पंचायतें वर्ष टी-1 में अपने वर्ष टी-2 के ओएसआर का न्यूनतम 1.025 गुना या 2025-26 पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि वृद्धि, जो भी कम हो, एकत्र करें, बशर्ते प्रति परिवार प्रति वर्ष न्यूनतम ₹1,200 की राशि संग्रहित हो सके।

### 6.2.2 ब्लॉक पंचायतों के लिए

ब्लॉक पंचायतें आरएलबी निष्पादन घटक के लिए तभी पात्र होंगे जब उनके अधिकार क्षेत्र की कम से कम 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतें इसके लिए पात्र हों।

### 6.2.3 जिला पंचायतों के लिए

वर्ष टी में आरएलबी निष्पादन घटक हेतु पात्र होने के लिए, जिला पंचायतें, वर्ष टी-1 में अपने वर्ष टी-2 के ओएसआर का न्यूनतम 1.025 गुना अथवा वर्ष 2025-26 के ओएसआर पर प्रति वर्ष 2.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वृद्धि, जो भी कम हो, एकत्र करें। आरएलबी निष्पादन घटक जारी करने के लिए अर्हता मानदंडों के अंतर्गत ओएसआर (जैसा कि पैरा 6.2 में उल्लेख किया गया है) की गणना के लिए, यह प्रावधान किया गया है कि ओएसआर में ब्याज प्राप्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
निष्पादन अनुदान के लिए आरएलबी की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक प्रतिदर्श विवरण *अनुलग्नक-III* में देखा जा सकता है।

## 6.3 राज्य कार्य निष्पादन घटक जारी करने के लिए पात्रता शर्तें

16वें वित्त आयोग ने अधिनिर्णय अवधि के दूसरे वर्ष से राज्य निष्पादन घटक को लागू करने की अनुशंसा की है। वर्ष टी में अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु, राज्य को वर्ष टी-1 में अपने स्वयं के संसाधनों से स्थानीय निकायों को, वर्ष टी-1 के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मूल अनुदान के 20 प्रतिशत या उससे अधिक के बराबर, अनुदान अंतरित करना चाहिए। 16वें वित्त आयोग ने यह भी अनुशंसा की है कि इस शर्त के लिए अंतरण की मात्रा निर्धारित करने हेतु राज्य द्वारा स्थानीय निकायों को वैधानिक रूप से आवंटित और साझा किए गए राजस्व को इन अंतरणों में शामिल किया जाए। **राज्यों द्वारा पंचायतों को अंतरित निधियों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए, राज्यों को अपने संबंधित कोषागारों को पीएफएमएस के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता होगी।**

*नोट: अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तों और समय-सीमा का सारांश अनुलग्नक-IV में दिया गया है।*

## 7. आरएलबी अनुदानों के उपयोग की सीमाएं

7.1 आरएलबी को सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर अनाबद्ध आवंटन के 20 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए (जिसमें बिटुमिनस/ब्लैक-टॉपड्/डामर, सीमेंट कंक्रीट/कंक्रीट, इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक फुटपाथ, बजरी, मिट्टी आदि जैसे सभी प्रकार की पक्की सतहें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं)।

7.2 अनाबद्ध अनुदान का उपयोग वेतन या अन्य स्थापना (establishment) संबंधी व्यय के भुगतान के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, आरएलबी के संबंध में लेखापरीक्षा और लेखांकन कार्यों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सूचीबद्ध पेशेवर सेवाओं की तैनाती पर होने वाले व्यय को 16वें वित्त आयोग अनुदान के अनाबद्ध घटक से किया जा सकता है।

## 8. विशिष्ट गतिविधियों के लिए प्रस्ताव

16वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि ग्राम पंचायत द्वारा आबद्ध और अनाबद्ध अनुदानों, दोनों के अंतर्गत की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों के लिए ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करें, और इसी तरह के प्रस्तावों की आवश्यकता ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों को भी होगी। आरएलबी द्वारा निम्नलिखित को पूरा करने पर अनुदान (आबद्ध और अनाबद्ध अनुदान) जारी करने का पात्र माना जाएगा:

(i) पंचायती राज मंत्रालय /पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित सामान्य प्रारूप में ग्राम/ब्लॉक/जिले की वार्षिक कार्य योजना के विवरण वाले ई-ग्रामस्वराज में आरएलबी द्वारा जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी को अपलोड करना।

(ii) ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर 16वें वित्त आयोग निधियों [दोनों घटकों] के उपयोग का विवरण अपलोड करना।

## 9. अवितरित स्थानीय निकाय निष्पादन घटक का उपयोग

यदि कोई भी शर्त (पैरा 6) पूरी नहीं होती है, तो निष्पादन अनुदान के अवितरित अंश का वितरण निम्नलिखित पद्धति के अनुसार किया जाएगा:

(i) किसी राज्य के स्थानीय निकाय निष्पादन घटक अनुदान के मामले में, शर्त को पूरा करने में विफल रहने वाले स्थानीय निकायों का अवितरित हिस्सा, उसी राज्य के शर्त पूरी करने वाले स्थानीय निकायों में वितरित किया जाएगा।

(ii) शर्तों को पूरा करने में राज्य की विफलता के कारण राज्य निष्पादन घटक का अवितरित अंश, राज्य-स्तरीय आपसी मानदंडों के अनुसार निष्पादनकारी करने वाले राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा।

(iii) राज्यों के बीच और किसी राज्य के भीतर स्थानीय निकायों, जैसा भी मामला हो, के बीच अनुदान के अवितरित निष्पादन घटक का वितरण, स्थानीय निकाय अनुदानों के वितरण के लिए इन दिशानिर्देशों के पैरा-3 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप होगा।

यह प्रावधान किया गया है कि आरएलबी/राज्य निष्पादन अनुदानों के अवितरित अंश के संबंध में, प्रति आरएलबी अधिकतम राशि उस आरएलबी/राज्य को 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मूल अनुदान के वार्षिक आवंटन से अधिक नहीं होगी।

## 10. अनुदान अंतरण प्रमाण पत्र

आरएलबी/राज्य को निधियों के अंतरण में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने के लिए अनुदान अंतरण प्रमाणपत्र एक पूर्व-अपेक्षित शर्त है। राज्यों को केंद्र सरकार से मिली पिछली किश्त के लिए 'ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट' (Annexure-V में बताए गए फ़ॉर्मेट में) जमा करना होगा। यह सर्टिफिकेट अगली किश्त के दावे के साथ M/oPR (अनाबद्ध अनुदान के लिए), D/o DW&S (आबद्ध अनुदान के लिए) और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) को देना होगा।

## 11. अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

11.1 नोडल मंत्रालय से अनुशंसाएं प्राप्त होने के अधीन, व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष <u>दो समान किस्तों</u> में मूल अनुदान जारी किए जाएंगे। पहली किस्त जून में और दूसरी किस्त, पिछली किस्त के अनुदान अंतरण प्रमाण पत्र की प्राप्ति होने पर, अक्टूबर में जारी की जाएगी। नोडल मंत्रालयों (पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां राज्य के भीतर स्थानीय निकायों का कोई समूह शर्तों को पूरा करता है, वहां शेष की प्रतीक्षा किए

बिना, उन्हें देय अनुदानों की अनुशंसा आनुपातिक आधार पर की जाएं। अनुदानों का शेष भाग, संबंधित आरएलबी द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर पात्र हो जाने पर जारी किया जाएगा।

11.2 इसके अतिरिक्त, निष्पादन अनुदान एकल किस्तों में, अर्थात् (i) राज्य निष्पादन अनुदान जून माह में और इसका अवितरित अंश अक्टूबर माह में; (ii) आरएलबी निष्पादन अनुदान अक्तूबर माह में और इसका अवितरित अंश दिसंबर माह में (*अनुलग्नक-IV* का संदर्भ लें) जारी किया जाएगा।

11.3 राज्य सरकारें केंद्र सरकार से इन सहायता अनुदानों के प्राप्त होने के दस कार्यदिवसों के भीतर अपने संबंधित स्थानीय निकायों को इन्हें अंतरित करना सुनिश्चित करेंगी। इस हस्तांतरण में निर्धारित दस कार्यदिवसों से अधिक की देरी होने पर राज्य सरकारें पिछले वित्तीय वर्ष के लिए market borrowings/State Development Loans पर लागू effective weighted rate of interest के अनुसार परिकलित ब्याज सहित निधियां जारी करने के लिए बाध्य होंगी।

11.4 राज्य सरकारें व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आरएलबी अनुदानों की प्रत्येक किस्त को सभी संबंधित इकाईयों [जीपी/बीपी/जेडपी और निष्कासित क्षेत्र, यदि कोई हो] को किसी कटौती के बिना अंतरित करेंगी।

## 12. लेखांकन और लेखापरीक्षा

12.1 सभी आरएलबी को मॉडल लेखा प्रणाली (एमएएस) का पालन करना होगा और ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेखे-जोखे रखने होंगे तथा उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वित्तीय लेनदेन (प्राप्ति और व्यय दोनों) ई-ग्रामस्वराज पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से किए जाएं। अनंतिम लेखाओं की वार्षिक लेखापरीक्षा पंचायती राज मंत्रालय के ऑडिटऑनलाइन एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाएगा। राज्य पंचायती राज विभागों को ऑडिटऑनलाइन पोर्टल में विकसित एटीआर मॉड्यूल के माध्यम से की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने की सलाह दी गयी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण जारी रहेगा।

12.2 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप, आरएलबी के लेखों में, लेखों की उपलब्धता से संबंधित शर्त को पूरा करने के लिए संबंधित आरएलबी के वित्त आयोग अनुदानों, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राजस्व के अपने स्रोत सहित सभी स्रोतों की प्राप्तियां और व्यय प्रदर्शित होने चाहिए। वित्तीय लेखों की समयबद्ध तैयारी को सुविधाजनक बनाने और लेनदेन के एंड-टू-एंड लेखांकन को सक्षम बनाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के उन्नयन सहित सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा।

12.3 व्यय विभाग को अनुदान जारी करने की अनुशंसा करते समय, राज्य सरकार और केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय लेखापरीक्षा प्रमाणन की गुणवत्ता की निगरानी करेंगे। आरएलबी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उल्लिखित संशोधित लेखापरीक्षा मतों (प्रतिकूल या अस्वीकरण मतों) पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

## 13. निष्पादन अनुदानों और ओएसआर रिपोर्टिंग के लिए उपाय

13.1 राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे आरएलबी को अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) नियमों को अधिनियमित या संशोधित करने और ओएसआर की व्यवस्था करने के लिए सक्षम बनाए। राज्यों को सभी आरएलबी में सटीक, सुसंगत और वास्तविक समय पर ओएसआर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम एकीकरण, उपयोगकर्ता प्रावधान और क्षमता निर्माण सहित, **समर्थ** पंचायत पोर्टल पर एंड-टू-एंड ऑनबोर्डिंग करना आवश्यक है। ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूरी की जानी है। आरएलबी को प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक राजस्व योजनाओं को **समर्थ** पंचायत पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा, ओएसआर संग्रह डेटा वित्तीय वर्ष 2027-28 से या तो सीधे ऑनबोर्डिंग के माध्यम से या मौजूदा राज्य/स्थानीय प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से स्वतः ही प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा।

13.2 ओएसआर निष्पादन की गणना करने के लिए, राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि वित्त वर्ष 2025-26 से ओएसआर डेटा को समयबद्ध और व्यापक रूप से **समर्थ** पोर्टल पर अपलोड किया जाए। कर-वार और गैर-कर-वार राजस्व विवरण और घरेलू स्तर के कवरेज को सटीक रूप से दर्ज करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पोर्टल पर आवश्यक प्रणालीगत प्रावधानों को कार्यान्वित किया जाएगा।

13.3 इसके अतिरिक्त, राज्यों को अपनी पंचायती राज अधिनियमों/नियमों के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों में संशोधन करने की भी सलाह दी गयी है, ताकि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप पंचायतों के साथ करों, शुल्कों, टोल, शुल्क और रॉयल्टी आदि की हिस्सेदारी को संस्थागत रूप देने वाले स्पष्ट प्रावधानों को शामिल किया जा सके। इससे न केवल पंचायतों के सभी स्तरों पर समान वितरण सुनिश्चित होगा, बल्कि राज्यों को राज्य निष्पादन अनुदान के लिए पात्रता प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

## 14. पिछले वित्त आयोगों की अप्रयुक्त शेष बकाया राशि

14.1 आरएलबी अनुदान 2026-27 की पहली किस्त जारी करने के अनुरोध को अग्रेषित करते समय, निधियों के अवरोध से बचने के लिए, राज्य सरकार(रें) यह सुनिश्चित करेगी कि 14वें वित्त आयोग या पिछले क्रमिक आयोगों की कोई भी अप्रयुक्त शेष बकाया राशि आरएलबी के पास लंबित न हो। स्थानीय निकाय संबंधित वित्त आयोग के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अप्रयुक्त शेष बकाया राशि का उपयोग कर सकते हैं। राज्य सरकार इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रदान करेगी।

14.2 वित्तीय वर्ष 2028-29 (अर्थात अधिनिर्णय अवधि का तीसरा वर्ष), से आरएलबी के पास उपलब्ध 15वें वित्त आयोग की अव्ययित निधि के संबंध में पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग को सलाह दी गयी है कि वे उन स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने की अनुशंसा न करें, जिनके पास 15वें वित्त आयोग की अव्ययित शेष राशि जारी करने के लिए विचाराधीन किस्त के 10

प्रतिशत से अधिक है। इसके अतिरिक्त, 16वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के चौथे वर्ष से नोडल मंत्रालयों द्वारा केवल उन्हीं स्थानीय निकायों को अनुदान की अनुशंसा की जानी चाहिए जिनके पास 15वें वित्त आयोग की कोई अव्ययित शेष राशि नहीं है।

## 15. उपयोग रिपोर्ट

15.1 राज्य अनुदान अंतरण प्रमाण पत्र में एक वर्ष की दूसरी किस्त के दावे के साथ प्रमाणित करेंगे कि आरएलबी ने क्रमशः आबद्ध और अनाबद्ध दोनों अनुदानों के लिए पिछले वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों का कम से कम 50 प्रतिशत उपयोग किया है। राज्यों द्वारा नोडल मंत्रालय (पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग) और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को समेकित उपयोग रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें उन मदों को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया हो, जिन पर दिशानिर्देशों के अनुरूप व्यय किया गया है।

15.2 आबद्ध और अनाबद्ध अनुदानों से राजस्व या व्यय के अपने स्रोत के संबंध में 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा एक डिजिटल सत्यापन प्रोटोकॉल विकसित और निर्धारित किया जाए।

## 16. पीएफएमएस के साथ 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्थानीय निकायों के अनुदानों का समेकन

पीएफएमएस सभी राज्यों की कोषागार प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है। राज्य, भारत सरकार की योजनाओं के साथ अपने व्यय शीर्षों की मैपिंग करके विभिन्न योजनाओं और अनुदानों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए व्यय का विवरण साझा करते हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुरूप, राज्य सरकारें अपनी प्रणालियों को पीएफएमएस के साथ एकीकृत करेंगी, जो पीएफएमएस/ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के माध्यम से 16वें वित्त आयोग के आरएलबी अनुदानों के व्यय और प्राप्तियों के डेटा के आदान-प्रदान को सक्षम बनाएगा। अनुदान अंतरण के संबंध में राज्य द्वारा प्रस्तुत जानकारी को निधियां जारी करने के लिए व्यय विभाग को अनुशंसा भेजने से पहले पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा पीएफएमएस से पुष्टि की जाएगी।

## 17. पंचायती राज मंत्रालय (पंचायती राज मंत्रालय) की भूमिका

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार अनाबद्ध अनुदान के लिए आरएलबी की पात्रता निर्धारित करने हेतु एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। यह शर्तों के अनुपालन का आकलन करेगा और

मूल्यांकन के आधार पर, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को अनुदान जारी करने की अनुशंसा करेगा। यह आरएलबी के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निधियों के उपयोग की निगरानी भी करेगा और आरएलबी को तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकता है।

**18. पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यू एंड एस विभाग) की भूमिका**

पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार आबद्ध अनुदान के लिए आरएलबी की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग उन निकायों/राज्यों के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को आबद्ध अनुदान जारी करने की अनुशंसा करेगा, जिन्होंने पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर और उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों के आकलन के पश्चात् प्रासंगिक शर्तों का अनुपालन किया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग आबद्ध अनुदान घटक या निधियों के कुशल उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली योजनाओं/प्रौद्योगिकी के उपयोग में आरएलबी को तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा।

**19. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की भूमिका**

नोडल मंत्रालयों अर्थात् पंचायती राज मंत्रालय/पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से अनुशंसाएं प्राप्त होने पर, व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग), वित्त मंत्रालय उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन संबंधित राज्यों को अनुदान की देय किस्त जारी करेगा।

**20. 16वें वित्त आयोग की अनुशंसित निधियों का अभिसरण**

16वें वित्त आयोग ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट के अध्याय 10 में अन्य बातों के साथ-साथ उन बुनियादी सेवाओं के वितरण को समर्थन और मजबूती प्रदान करने के लिए आबद्ध अनुदानों की अनुशंसा की है, जो सभी के लिए पेयजल, स्वच्छता आदि जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी), जल जीवन मिशन आदि जैसे समान परिणामों को लक्षित करने वाली कुछ योजनाएं भी शुरू की हैं। इन योजनाओं में प्राप्त की गई उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए, सरकार के सभी तीन स्तरों को सहकारी संघवाद की भावना से जोड़े जाने की आवश्यकता है। इसलिए, ग्रामीण स्थानीय निकाय समान परिणामों और क्षेत्राधिकार के साथ केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी अन्य योजना के साथ अभिसरण में आबद्ध अनुदान घटकों का उपयोग कर सकते हैं, जिसका अंतिम उद्देश्य इस प्रयोजन हेतु निर्मित की जाने वाली परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार के भीतर अधिकतम आबादी को कवर करना है।

हालांकि, 16वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग किसी विशेष योजना के लिए राज्य की हिस्सेदारी/अंशदान के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। जब ग्राम पंचायतें उद्देश्यों/लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का दोहन करने हेतु आबद्ध अनुदानों का प्रयोग करेंगी तो ब्लॉक या जिला पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय योजनाओं के साथ अभिसरण से ऐसी योजनाओं के संचालन

के साथ-साथ संसाधन अंतरण भी सुगम हो जाएगा। इसलिए, ब्लॉक पंचायतें और जिला पंचायतें अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर इस तरह के अभिसरण की संभावनाएं खोज सकती हैं।

21. **छूट देने की शक्तिः** *ऊपर जो कुछ भी उल्लेख किया गया है, उसके बावजूद, किसी भी अप्रत्याशित घटना को कवर करने के लिए या किसी भी आपात स्थिति के मामले में या किसी अन्य कारण से, जैसा भी उपयुक्त समझा जाए, व्यय विभाग किन्हीं शर्तों/पूर्व-शर्तों में संशोधन/छूट का अधिकार सुरक्षित रखता है।*

अनुलग्नक I

# आरएलबी अनुदानों में राज्यों की आपसी हिस्सेदारी

| क्र.सं. | राज्य | क्षेत्र ('000 वर्ग किमी) | क्षेत्र का हिस्सा (10%) | ग्रामीण जनसंख्या ('000) | ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा (90%) | आपसी हिस्सेदारी (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 162.92 | 0.53 | 32,974 | 3.29 | 3.82 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 83.74 | 0.27 | 1,185 | 0.12 | 0.39 |
| 3 | असम | 78.44 | 0.26 | 30,987 | 3.09 | 3.35 |
| 4 | बिहार | 94.16 | 0.31 | 1,16,546 | 11.62 | 11.93 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 135.19 | 0.44 | 22,516 | 2.24 | 2.68 |
| 6 | गोवा | 3.70 | 0.01 | 329 | 0.03 | 0.04 |
| 7 | गुजरात | 196.24 | 0.64 | 36,906 | 3.68 | 4.32 |
| 8 | हरियाणा | 44.21 | 0.15 | 17,577 | 1.75 | 1.90 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 55.67 | 0.18 | 6,806 | 0.68 | 0.86 |
| 10 | झारखंड | 79.72 | 0.26 | 30,178 | 3.01 | 3.27 |
| 11 | कर्नाटक | 191.79 | 0.63 | 37,253 | 3.71 | 4.34 |
| 12 | केरल | 38.85 | 0.13 | 6,351 | 0.63 | 0.76 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 308.25 | 1.01 | 63,685 | 6.35 | 7.36 |
| 14 | महाराष्ट्र | 307.71 | 1.01 | 65,537 | 6.53 | 7.54 |
| 15 | मणिपुर | 22.33 | 0.07 | 2,213 | 0.22 | 0.29 |
| 16 | मेघालय | 22.43 | 0.07 | 2,734 | 0.27 | 0.34 |
| 17 | मिजोरम | 21.08 | 0.07 | 563 | 0.06 | 0.13 |
| 18 | नागालैंड | 16.58 | 0.05 | 1,128 | 0.11 | 0.16 |
| 19 | ओडिशा | 155.71 | 0.51 | 38,064 | 3.79 | 4.30 |
| 20 | पंजाब | 50.36 | 0.17 | 17,861 | 1.78 | 1.95 |
| 21 | राजस्थान | 342.24 | 1.12 | 61,261 | 6.11 | 7.23 |
| 22 | सिक्किम | 7.10 | 0.02 | 310 | 0.03 | 0.05 |
| 23 | तमिलनाडु | 130.06 | 0.43 | 34,701 | 3.46 | 3.89 |
| 24 | तेलंगाना | 112.12 | 0.37 | 19,258 | 1.92 | 2.29 |
| 25 | त्रिपुरा | 10.49 | 0.03 | 2,427 | 0.24 | 0.27 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 240.93 | 0.79 | 1,84,063 | 18.34 | 19.13 |
| 27 | उत्तराखंड | 53.48 | 0.18 | 7,526 | 0.75 | 0.93 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 88.75 | 0.29 | 62,144 | 6.19 | 6.48 |
| **कुल** | | **3,054.25** | **10.00** | **9,03,083** | **90.00** | **100.00** |

***स्रोत: 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट***

## अनुलग्नक-II-(क)

# आरएलबी मूल एवं निष्पादन घटक

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य | 2026-27 | | 2027-28 | | 2028-29 | | 2029-30 | | 2030-31 | | कुल 2026-27 से 2030-21 | | कुल जोड़ (मूल+ निष्पा.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मूल | निष्पा | मूल | निष्पा | मूल | निष्पा | मूल | निष्पा | मूल | निष्पा | मूल | निष्पा | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2136 | 0 | 2371 | 353 | 2632 | 889 | 2921 | 987 | 3242 | 1096 | 13302 | 3325 | 16627 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 218 | 0 | 242 | 36 | 269 | 91 | 298 | 101 | 331 | 112 | 1358 | 340 | 1698 |
| 3 | असम | 1873 | 0 | 2078 | 310 | 2308 | 780 | 2561 | 866 | 2843 | 961 | 11663 | 2917 | 14580 |
| 4 | बिहार | 6670 | 0 | 7404 | 1102 | 8218 | 2777 | 9122 | 3083 | 10125 | 3422 | 41539 | 10384 | 51923 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 1498 | 0 | 1663 | 248 | 1846 | 624 | 2049 | 693 | 2275 | 768 | 9331 | 2333 | 11664 |
| 6 | गोवा | 22 | 0 | 25 | 4 | 28 | 9 | 31 | 10 | 34 | 11 | 140 | 34 | 174 |
| 7 | गुजरात | 2415 | 0 | 2681 | 399 | 2976 | 1006 | 3303 | 1116 | 3667 | 1239 | 15042 | 3760 | 18802 |
| 8 | हरियाणा | 1062 | 0 | 1179 | 176 | 1309 | 442 | 1453 | 491 | 1613 | 545 | 6616 | 1654 | 8270 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 481 | 0 | 534 | 79 | 593 | 200 | 658 | 222 | 730 | 247 | 2996 | 748 | 3744 |
| 10 | झारखंड | 1828 | 0 | 2029 | 302 | 2253 | 761 | 2500 | 845 | 2775 | 938 | 11385 | 2846 | 14231 |
| 11 | कर्नाटक | 2427 | 0 | 2693 | 401 | 2990 | 1010 | 3318 | 1122 | 3683 | 1245 | 15111 | 3778 | 18889 |
| 12 | केरल | 425 | 0 | 472 | 70 | 524 | 177 | 581 | 196 | 645 | 218 | 2647 | 661 | 3308 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 4115 | 0 | 4568 | 680 | 5070 | 1713 | 5627 | 1902 | 6247 | 2111 | 25627 | 6406 | 32033 |
| 14 | महाराष्ट्र | 4216 | 0 | 4679 | 697 | 5194 | 1755 | 5766 | 1948 | 6399 | 2163 | 26254 | 6563 | 32817 |
| 15 | मणिपुर | 162 | 0 | 180 | 27 | 199 | 68 | 222 | 75 | 246 | 83 | 1009 | 253 | 1262 |
| 16 | मेघालय | 190 | 0 | 211 | 31 | 234 | 79 | 260 | 88 | 288 | 98 | 1183 | 296 | 1479 |
| 17 | मिजोरम | 73 | 0 | 81 | 12 | 90 | 30 | 99 | 34 | 110 | 38 | 453 | 114 | 567 |
| 18 | नागालैंड | 90 | 0 | 99 | 15 | 110 | 37 | 122 | 42 | 136 | 46 | 557 | 140 | 697 |
| 19 | ओडिशा | 2404 | 0 | 2669 | 397 | 2962 | 1001 | 3288 | 1111 | 3650 | 1233 | 14973 | 3742 | 18715 |
| 20 | पंजाब | 1090 | 0 | 1210 | 180 | 1343 | 454 | 1491 | 504 | 1655 | 559 | 6789 | 1697 | 8486 |
| 21 | राजस्थान | 4042 | 0 | 4487 | 668 | 4980 | 1684 | 5528 | 1868 | 6136 | 2074 | 25173 | 6294 | 31467 |
| 22 | सिक्किम | 28 | 0 | 31 | 5 | 34 | 12 | 38 | 13 | 43 | 14 | 174 | 44 | 218 |
| 23 | तमिलनाडु | 2175 | 0 | 2414 | 359 | 2679 | 906 | 2975 | 1005 | 3301 | 1116 | 13544 | 3386 | 16930 |
| 24 | तेलंगाना | 1280 | 0 | 1421 | 212 | 1578 | 533 | 1751 | 592 | 1944 | 657 | 7974 | 1994 | 9968 |
| 25 | त्रिपुरा | 151 | 0 | 168 | 25 | 186 | 63 | 206 | 70 | 230 | 77 | 941 | 235 | 1176 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 10695 | 0 | 11872 | 1768 | 13177 | 4454 | 14628 | 4943 | 16236 | 5488 | 66608 | 16653 | 83261 |
| 27 | उत्तराखंड | 520 | 0 | 577 | 86 | 640 | 217 | 711 | 240 | 789 | 267 | 3237 | 810 | 4047 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 3623 | 0 | 4021 | 599 | 4463 | 1509 | 4955 | 1674 | 5500 | 1859 | 22562 | 5641 | 28203 |
| | **कुल** | **55909** | **0** | **62059** | **9241** | **68885** | **23281** | **76462** | **25841** | **84873** | **28685** | **348188** | **87048** | **435236** |

***स्रोत: 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट***

**अनुलग्नक-II-(ख)**

(रु. करोड़ में)

| क्र. सं. | राज्य | आरएलबी मूल अनुदान (आबद्ध/अनाबद्ध) 2026-27 | | 2027-28 | | 2028-29 | | 2029-30 | | 2030-31 | | 2026-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबद्ध | अनाबद्ध | आबद्ध | अनाबद्ध | आबद्ध | अनाबद्ध | आबद्ध | अनाबद्ध | आबद्ध | अनाबद्ध | आबद्ध | अनाबद्ध |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1068 | 1068 | 1186 | 1186 | 1316 | 1316 | 1461 | 1461 | 1621 | 1621 | 6651 | 6651 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 109 | 109 | 121 | 121 | 135 | 135 | 149 | 149 | 166 | 166 | 679 | 679 |
| 3 | असम | 937 | 937 | 1039 | 1039 | 1154 | 1154 | 1281 | 1281 | 1422 | 1422 | 5832 | 5832 |
| 4 | बिहार | 3335 | 3335 | 3702 | 3702 | 4109 | 4109 | 4561 | 4561 | 5063 | 5063 | 20770 | 20770 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 749 | 749 | 832 | 832 | 923 | 923 | 1025 | 1025 | 1138 | 1138 | 4666 | 4666 |
| 6 | गोवा | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 70 | 70 |
| 7 | गुजरात | 1208 | 1208 | 1341 | 1341 | 1488 | 1488 | 1652 | 1652 | 1834 | 1834 | 7521 | 7521 |
| 8 | हरियाणा | 531 | 531 | 590 | 590 | 655 | 655 | 727 | 727 | 807 | 807 | 3308 | 3308 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 241 | 241 | 267 | 267 | 297 | 297 | 329 | 329 | 365 | 365 | 1498 | 1498 |
| 10 | झारखंड | 914 | 914 | 1015 | 1015 | 1127 | 1127 | 1250 | 1250 | 1388 | 1388 | 5693 | 5693 |
| 11 | कर्नाटक | 1214 | 1214 | 1347 | 1347 | 1495 | 1495 | 1659 | 1659 | 1842 | 1842 | 7556 | 7556 |
| 12 | केरल | 213 | 213 | 236 | 236 | 262 | 262 | 291 | 291 | 323 | 323 | 1324 | 1324 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 2058 | 2058 | 2284 | 2284 | 2535 | 2535 | 2814 | 2814 | 3124 | 3124 | 12814 | 12814 |
| 14 | महाराष्ट्र | 2108 | 2108 | 2340 | 2340 | 2597 | 2597 | 2883 | 2883 | 3200 | 3200 | 13127 | 13127 |
| 15 | मणिपुर | 81 | 81 | 90 | 90 | 100 | 100 | 111 | 111 | 123 | 123 | 505 | 505 |
| 16 | मेघालय | 95 | 95 | 106 | 106 | 117 | 117 | 130 | 130 | 144 | 144 | 592 | 592 |
| 17 | मिजोरम | 37 | 37 | 41 | 41 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 227 | 227 |
| 18 | नागालैंड | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 61 | 61 | 68 | 68 | 279 | 279 |
| 19 | ओडिशा | 1202 | 1202 | 1335 | 1335 | 1481 | 1481 | 1644 | 1644 | 1825 | 1825 | 7487 | 7487 |
| 20 | पंजाब | 545 | 545 | 605 | 605 | 672 | 672 | 746 | 746 | 828 | 828 | 3395 | 3395 |
| 21 | राजस्थान | 2021 | 2021 | 2244 | 2244 | 2490 | 2490 | 2764 | 2764 | 3068 | 3068 | 12587 | 12587 |
| 22 | सिक्किम | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 22 | 87 | 87 |
| 23 | तमिलनाडु | 1088 | 1088 | 1207 | 1207 | 1340 | 1340 | 1488 | 1488 | 1651 | 1651 | 6772 | 6772 |
| 24 | तेलंगाना | 640 | 640 | 711 | 711 | 789 | 789 | 876 | 876 | 972 | 972 | 3987 | 3987 |
| 25 | त्रिपुरा | 76 | 76 | 84 | 84 | 93 | 93 | 103 | 103 | 115 | 115 | 471 | 471 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 5348 | 5348 | 5936 | 5936 | 6589 | 6589 | 7314 | 7314 | 8118 | 8118 | 33304 | 33304 |
| 27 | उत्तराखंड | 260 | 260 | 289 | 289 | 320 | 320 | 356 | 356 | 395 | 395 | 1619 | 1619 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 1812 | 1812 | 2011 | 2011 | 2232 | 2232 | 2478 | 2478 | 2750 | 2750 | 11281 | 11281 |
| **कुल** | | **27955** | **27955** | **31030** | **31030** | **34443** | **34443** | **38231** | **38231** | **42437** | **42437** | **174094** | **174094** |

*नोट: आंकड़ों को निकटतम मान तक पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया गया है। आबद्ध घटक तथा अनाबद्ध घटक का योग, मूल अनुदान से अधिक नहीं होगा।*

**अनुलग्नक-III**

**आरएलबी निष्पादन अनुदान (ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत तथा समकक्ष निकाय) की पात्रता निर्धारित करने हेतु प्रतिदर्श उदाहरण, यदि अन्य पात्रता मानदंड पूरे कर लिए गए हैं।**

**<u>मामला 1: पात्रता के संबंध में</u>**

**पंचायत/स्थानीय निकाय में परिवारों की संख्या: एचएच - 1000**

| विवरण | सं. | |
|---|---|---|
| परिवारों की संख्या | 1,000 | |
| **अवधि** | **वित्तीय वर्ष** | **सृजित ओएसआर** |
| टी (अनुदान वर्ष) | 2028-29 | |
| टी-1 (जांच की जाने हेतु ओएसआर) | 2027-28 | ₹13,00,000 |
| टी-2 (पिछला ओएसआर) | 2026-27 | ₹ 12,00,000 |
| आधार वर्ष | 2025-26 | ₹ 11,50,000 |
| **आएलबी निष्पादन अनुदान के लिए पात्र शर्तें** | | |
| | **शर्त 1** | **ओएसआर (2027-28) = 1.025* ओएसआर (2026-27)** |
| | | **12,30,000** |
| | **शर्त 2** | **ओएसआर (2027-28) = (1.025)^n * ओएसआर (2025-26)** |
| | | **12,08,219** |
| | **न्यूनतम (शर्त 1, 2)** | **12,08,219** |
| | **वर्ष टी-1 में ओएसआर / एचएच** | 1,300 |
| | **सीमा@1200/एचएच/प्रति वर्ष** | 1,200 |
| | **क्या पंचायत पात्र हैं?** | **पात्र** |

**<u>मामला 2: अपात्रता के संबंध में</u>**

**पंचायत/स्थानीय निकाय में परिवारों की संख्या: एचएच - 1000**

| विवरण | सं. | |
|---|---|---|
| परिवारों की संख्या | 1,000 | |
| **सत्र** | **वित्तीय वर्ष** | **सृजित ओएसआर** |
| टी (अनुदान वर्ष) | 2028-29 | |
| टी-1 (जांच होने वाला ओएसआर) | 2027-28 | ₹ 11,00,000 |
| टी-2 (पिछला ओएसआर) | 2026-27 | ₹ 10,50,000 |
| आधार वर्ष | 2025-26 | ₹ 10,00,000 |
| **आएलबी निष्पादन अनुदान के लिए पात्रता शर्तें** | | |
| | **शर्त 1** | **ओएसआर (2027-28) = 1.025* ओएसआर (2026-27)** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **10,76,250** |
| | **शर्त 2** | **ओएसआर (2027-28) = (1.025)^n * ओएसआर (2025-26)** |
| | | **10,50,625** |
| | **न्यूनतम (शर्त 1, 2)** | **10,50,625** |
| | **वर्ष टी-1 में ओएसआर / एचएच** | 1,100 |
| | **सीमा@1200/एचएच/प्रति वर्ष** | 1,200 |
| | **क्या पंचायत पात्र हैं?** | **पात्र नहीं है।** |

नोट: स्पष्टता के लिए, उपर्युक्त आंकड़े केवल उदाहरण के लिए हैं और इनका आशय वास्तविक परिणाम दर्शाना नहीं है।

अनुलग्नक-IV

## अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्रता शर्तों एवं समयसीमा का सारांश

| क्र.सं. | अनुदान शर्त/समयसीमा | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विधिवत गठित स्थानीय निकाय मौजूद है। | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | राज्य के सभी आरएलबी के विगत वर्ष के अनंतिम लेखों तथा उससे पिछले वर्ष के लेखापरिक्षित लेखों की ऑनलाईन उपलब्धता। | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | पिछले एसएफसी के गठन के पांच वर्षों की समाप्ति के बाद एसएफसी का गठन, और एसएफसी रिपोर्ट की प्रस्तुति के 6 माह के भीतर राज्य के विधान मंडल में प्रस्तुत किया गया एटीआर। | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी और अनुदान की उपयोगिता के विवरण को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करना। | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | आरएलबी निष्पादन घटक (दिशानिर्देशों के पैरा 6.2 का संदर्भ लें) | उ.न. | उ.न. | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | राज्य निष्पादन अनुदान (दिशानिर्देशों के पैरा 6.3 का संदर्भ लें) | उ.न. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | आबद्ध एवं अनाबद्ध अनुदान जारी करना। | प्रत्येक वित्तीय वर्ष का जून माह (पहली किस्त) और अक्तूबर माह (दूसरी किस्त) | | | | |
| 8 | राज्य निष्पादन अनुदान जारी करना। | प्रत्येक वित्तीय वर्ष (वर्ष 2027-28 से) का जून माह (एक किस्त) | | | | |
| 9 | अवितरित राज्य निष्पादन अनुदान जारी करना। | प्रत्येक वित्तीय वर्ष (वर्ष 2027-28 से) का अक्तूबर माह (एक किस्त) | | | | |
| 10 | आरएलबी निष्पादन अनुदान जारी करना | प्रत्येक वित्तीय वर्ष (वर्ष 2028-29 से) का अक्तूबर माह (एक किस्त) | | | | |
| 11 | अवितरित आरएलबी निष्पादन अनुदान जारी करना | प्रत्येक वित्तीय वर्ष (वर्ष 2028-29 से) का दिसंबर माह (एक किस्त) | | | | |

**अनुलग्नक-V**

16वें वित्त आयोग द्वारा 2026-27 से 2030-31 तक की इसकी अधिनिर्णय अवधि के दौरान अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु प्राप्त अनुदान के लिए अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र।

राज्य का नाम:-

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सामान्य क्षेत्रों के लिए | कुल संख्या | जीपी | | विधिवत चयनित निकाय | जीपी | |
| | | | बीपी | | | बीपी | |
| | | | जेडपी | | | जेडपी | |
| 2. | भाग IX के क्षेत्र में शामिल नहीं [ऐसे स्वायत्त निकायों के नाम एवं संख्या प्रदान करें] | | | | सं. | नाम | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. | प्राप्त अनाबद्ध/आबद्ध अनुदान का विवरण | वर्ष | किस्त | राशि (लाख रु. में) | प्राप्ति की तारीख | | |
| | | | | | | | |
| 4. | हस्तांतरित अनाबद्ध/आबद्ध अनुदान का विवरण*: | वर्ष | किस्त | राशि (लाख रु. में) | हस्तांतरण की तारीख | विलंबित दिनों की संख्या | यदि विलंब हुआ है तो हस्तांतरित ब्याज की राशि (ब्याज दर सहित) |
| | | | | | | | |
| 5. | क्या राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की अनुशंसा उपलब्ध है | हां/नहीं | एसएफसी की अनुशंसा या सोलहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत मानदंडों के आधार पर वितरित अनुदान | एसएफसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख | एटीआर को प्रस्तुत करने की तारीख | अवधि जिसमें एसएफसी की सिफारिशें लागू होती हैं | |
| | | | | | | | |
| 6. | क्या 16वें वित्त आयोग के लिए आरएलबी लेखों को सभी लेन देन के लिए पीएफएमएस से जोड़ा गया है। | | | | | | |
| 7. | पिछले वित्त आयोगों से उपलब्ध शेष राशि, यदि कोई हो (राशि करोड़ रु. में) | | | | | | |
| 8. | पिछले वर्ष के आरएलबी अनुदानों की अब तक की उपयोगिता का प्रतिशत | | | अनाबद्ध अनुदान के लिए | | आबद्ध अनुदान के लिए | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 9. | उपयोग किया गया आबद्ध अनुदान का प्रतिशत | स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लए | ज़ल प्रबंधन के लिए |
| | | | |

*जो लागू न हो उसे काट दें।

यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुदानों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है/किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए ये प्रदान किए गए थे और यदि कोई अंतर पाया जाता है तो उसे सूचित किया जाएगा।

सचिव (नोडल विभाग)
के मुहर
सहित हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित:
वित्त सचिव के मुहर सहित हस्ताक्षर